(60)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 508–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–11–2015 एवं 29–1–2016 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल कमांक 1 ईटाखेडी तहसील हुजूर जिला भोपाल एव नायब तहसीलदार वृत–1 तहसील हुजूर जिला भोपाल, प्रकरण कमांक 25/अ–12/2015–16 एवं प्रकरण कमांक 6/अ–70/15–16।

.....

प्रेमनारायण सोनी आ0 नन्नूलाल सोनी,
निवासी लाम्बाखेड़ा तहसील हुजूर जिला भोपाल

..... आवेदक

विरूद्ध

1–देवीराम आ0श्री रामरतन
2–भीकमसिंह आ0श्री रामरतन
3–हेमराज आ0श्री रामरतन
4–सुरेन्द्र आ0 श्री रामरतन
5–श्रीमती विद्या बाई पुत्री रामरतन
6–श्रीमती द्रोपती बाई पत्नि रामरतन
सभी निवासी ग्राम देवलखेड़ी तहसील हुजूर
जिला भोपाल

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0अवस्थी, अभिभाषक–आवेदक

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 7/12/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल कमांक 1 ईटाखेडी तहसील हुजूर जिला भोपाल एव नायब तहसीलदार वृत–1 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–11–2015 एवं 29–1–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि ग्राम लाम्बाखेडा तहसी हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि सर्वे कमांक 247/1/3/1 रकबा 1.210 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर दिनांक 9–11–2015 को सीमांकन आदेश पारित किया गया तदोपरांत अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कब्जा दिलाये जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 6/अ–70/15–16 दर्ज कर दिनांक 29–1–16 को अंतरिम आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इन्हीं आदेशों के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन किये जाने बावत् राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 11–7–15 को सीमांकन किये जाने की सूचना दी गई थी परन्तु उक्त दिनांक को सीमांकन नहीं किया जाकर दिनांक 14–7–15 को सीमांकन किया गया जिसकी सूचना आवेदक को नहीं दी गई। यह भी कहा गया कि प्रतिवेदन में भी सीमांकन किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदकगण की भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा बताया गया है जबकि दिनांक 11–9–2007 को आवेदक द्वारा कलेक्टर भू–प्रबंधक से अपनी भूमि का सीमांकन कराया जाकर बटांकन करा लिया गया है । यह भी कहा गया कि पंचनामा, फील्डबुक आदि की प्रति आवेदक सहिता सीमांकन कार्यवाही में भाग लेने वाले को उपलब्ध नहीं कराई गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का अंतिम निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक को नोटिस की तामीली की गई है । नोटिस में 11–7–2015 के स्थान पर 14–7–2015 तारीख किया जाना सन्देहास्पद नहीं माना जा सकता, क्योंकि पंचनामे के अन्य गवाह 14–7–2015 को उपस्थित रहे हैं। वैसे भी सीमांकन टी0एस0एम0 मशीन से विधिवत् हुआ है जिसमें आवेदक का कब्जा पाया गया है । वैसे भी संहिता की धारा 250 की कार्यवाही में आवेदक को अभी नोटिस ही जारी हुआ है । तहसील न्यायालय में आवेदक को अपनी बात रखने का अवसर उपलब्ध है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल कमांक 1 ईटाखेडी तहसील हुजूर जिला भोपाल एवं नायब तहसीलदार वृत–1 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–11–2015 एवं 29–1–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर